उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की 49वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 19.09.2014 का कार्यवृत्त एवं निर्णय

उपस्थिति

1	श्री कुमार कमलेश आई0ए0एस0	आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/अध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण।	अध्यक्ष
2	श्रीमती सौम्या अग्रवाल आई0ए0एस0	जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव।	उपाध्यक्ष
3	श्री मनमोहन मिश्र	अपर निदेशक, कोषागार लखनऊ मण्डल, लखनऊ	सदस्य
4	श्री शेर सिंह	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।	सदस्य
5	श्री राजेश रोमन	संयुक्त आयुक्त, उद्योग प्रतिनिधि, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, लखनऊ।	सदस्य
6	श्री एच0 के0 वर्मा	सहायक निदेशक पर्यावरण प्रतिनिधि निदेशक पर्यावरण विभाग, लखनऊ	सदस्य
7	श्री वी0 एस0 गंगवार	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, उन्नाव, प्रतिनिधि, प्रबंध निदेशक, जल निगम, उ0 प्र0।	
8	श्री एस0 के0 मिश्रा	अधिशासी अभियन्ता उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, उन्नाव।	सदस्य
9	श्री टी0 बी0 सिंह	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।	सदस्य
10	श्री मनोज गुप्ता	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, गंगाघाट।	सदस्य
11	श्री इस्माइल खान	नामित सदस्य	सदस्य
12	श्री रजनीश कुमार राठौर	नामित सदस्य	सदस्य

बैठक हेतु कोरम पूर्ण है। अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)/सचिव, श्री एस0 के0 सिंह द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यो का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत एजेण्डा के विभिन्न मदों पर कार्यवाही एवं निर्णय निम्नानुसार है :–

मद संख्या 49.01 विगत 48वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 16.09.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्रस्ताव पर सभी सदस्यों की सहमति से विगत बोर्ड बैठक दिनॉक 16.09.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या 49.02 विगत 48वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 16.09.2013 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या

प्राधिकरण की विगत 48वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 16.09.2013 मे लिये गये निर्णयो/निर्देशो के क्रम में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया एवं निम्न बिन्दुओ पर निर्देश दिये गये :–

मद सं0 47.02 (37.02 – ग) –

उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित शुक्लागंज मगरवारा इत्यादि क्षेत्रों को कानपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित करने से उत्पन्न हुई विसंगतियों के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा उन्नाव विकास क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना 2031 जो कि विगत कई वर्षो से लम्बित है, के संबंध में विचार–विमर्श किया गया एवं निर्देश दिये गये कि उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण का क्षेत्र काफी संकुचित हो गया है, पूर्व में कानपुर विकास प्राधिकरण में अधिसूचित किये गये उन्नाव जनपद के ग्रामो को उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु शासन स्तर पर बैठक दिनॉक 28.08.2014 को सम्पन्न हो चुकी है, इसका कार्यवृत्त प्राप्त कर लिया जाये तथा शासन से प्रभावी कार्यवाही करने के लिये निरंतर पत्राचार बनाये रखा जाये। प्राधिकरण की सीमा निर्धारण हेतु भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो। प्राधिकरण की सीमा निर्धारण उपरान्त महायोजना हेतु सेटेलाइट सर्वे का कार्य किया जाये क्योंकि पूर्व में वर्ष 2005 में जो सेटेलाइट सर्वे प्राप्त किया गया था, वर्तमान में निष्प्रभावी हो गया है, अतः पुनः सर्वे करने की आवश्यकता है।

मद संख्या 49.03 वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट का अनुमोदन

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु प्रस्तुत बजट पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष आय कम होने के कारण पर चर्चा हई जिसमें निराला नगर आवासीय योजना, द्वितीय चरण पर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायलय में एस0 एल0 पी0 योजित होने के कारण योजना का क्रियान्वयन न होने से आवेदको से पंजीकरण के बाद की धनराशि प्राप्त न होने के फलस्वरूप प्रस्तावित आय के सापेक्ष कम उपलब्धि रही है।

राजस्व व्यय के क्रमांक 03 कालम 10 पर उल्लिखित कार्यालय रख–रखाव पर विगत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष अधिक धनराशि प्रस्तावित करने का मुख्य कारण कार्यालय भवन की रंगाई–पुताई, बिजली / सिनेटरी एवं प्राधिकरण दिवस आयोजित करने हेतु अतिरिक्त फर्नीचर क्रय करने आदि के कार्य, प्रस्तावित होने के फलस्वरूप अधिक धनराशि का प्राविधान किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2014–15 हेतु कुल आय **₹ 2614.00 लाख** एवं **कुल व्यय ₹ 2582.00 लाख** का प्रस्तावित बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 49.04 **उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रियदर्शिनीनगर विस्तार (द्वितीय चरण) के नाम से अर्जित 18.532 हे0 भूमि जिस पर निराला नगर सेक्टर 2 के नाम से योजना संचालित है, के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण का पक्ष रखने हेतु अधिवक्ताओ को फीस के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव**

बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रियदर्शिनीनगर विस्तार (द्वितीय चरण) के नाम से अर्जित 18.532 हे0 भूमि जिस पर निराला नगर सेक्टर 2 के नाम से योजना संचालित है, के

सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण का पक्ष रखने हेतु अधिवक्ताओ को फीस के भुगतान पर अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही निर्देश दिये गये कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0 एल0 पी0 हेतु प्रभावी पैरवी की जाये।

मद संख्या 49.05 **उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के नगरीय क्षेत्र हेतु शासन द्वारा निर्गत निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओ के लिये पुनरीक्षित इण्टीग्रेटड टाउनशिप नीति–2014 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

उ0 प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना सं0 520/8–3–14–37विविध/13 दिनॉक 04 मार्च 2014 के द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रो में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओ के लिए पुनरीक्षित इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) लागू किये जाने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्तो को बोर्ड द्वारा यथा अंगीकृत किया गया।

मद संख्या 49.06 **उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा शासन से निर्गत उ0 प्र0 राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2014 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

उ0 प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 455/आठ–1–14–129विविध/2012 दिनॉक 04 मार्च 2014 के द्वारा उ0 प्र0 राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2014 लागू किये जाने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्तो को बोर्ड द्वारा यथा अंगीकृत किया गया।

मद संख्या 49.07 **उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को मोबाइल (CUG) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारियो/कर्मचारियों को अन्य विकास प्राधिकरण की भॉति **CUG** मोबाइल की सुविधा प्राधिकरण कार्यहित में दिये जाने की सहमति

प्रदान की गयी। जिसमें निम्नानुसार अधिकतम् व्यय सीमा प्रतिमाह की निर्धारित की गयी :–

	अधिकतम् व्यय सीमा प्रतिमाह
1. उपाध्यक्ष	₹ 2000/–
2. सचिव	₹ 1500/–
3. अधिशासी अभियन्ता/सहा0 अभि0	₹ 1000/–
4. अन्य समस्त कर्मचारी	₹ 500/–

उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मात्र **CUG** मोबाइल के अन्तर्गत सिम कार्ड ही उपलब्ध कराये जायेगे, मोबाइल सेट सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं का प्रयोग किया जायेगा साथ ही प्राधिकरण में कार्यरत् सहायक नगर नियोजक हेतु ₹ 1000/– की सीमा निर्धारित करने हेतु निर्देश दिये गये।

मद संख्या 49.08 **निराला प्रेक्षागृह को जिला प्रशासन, शासकीय/अर्द्ध शासकीय, जनहित प्रयोजन, निजी प्रयोजन के साथ–साथ शादी समारोह हेतु किराये पर दिये हेतु किराये की दरो का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।**

निराला प्रेक्षागृह के किराये की दरों में बढ़ोत्तरी किये जाने पर विचार विमर्श किया गया शादी समारोह हेतु किराये पर दिये जाने के बिन्दु को छोड़कर शेष निम्नानुसार दरो को अनुमोदित किया गया :–

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत दरें	साफ–सफाई हेतु	धरोहर धनराशि
(1)	जिला प्रशासन	निशुल्क	रू0 500/–	रू0 2000/–
(2)	शासकीय/अर्द्ध शासकीय	रू0 5000/–	रू0 500/–	रू0 2000/–
(3)	जनहित प्रयोजन (सांस्कृतिक कार्यक्रमो हेतु)	रू0 10,000/–	रू0 500/–	रू0 5000/–
(4)	निजी प्रयोजन (राजनैतिक पार्टियो के कार्यक्रम सेमिनार/प्रदर्शिनी आदि हेतु)	रू0 15,000/–	रू0 1000/–	रू0 10,000/–

(5)	जनरेटर शुल्क	रू0 500/– प्रति घंटा किसी भी प्रयोजन हेतु (डीजल सम्बन्धित संस्था द्वारा देय होगा)	—	—

उपरोक्त दरों में मँहगाई एवं अनुरक्षण के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत किराया बढ़ाया जायेगा, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल से प्रभावी किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

निराला प्रेक्षागृह को शादी समारोह हेतु किराये पर दिये जाने हेतु बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किया गया, इस हेतु सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर ली जाये। जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत प्रथमतः अग्नि शमन तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं की समीक्षा करते हुये यथाआवश्यक प्रस्ताव प्राधिकरण की अगली बोर्ड बैठक में विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

मद संख्या 49.09 उन्नाव नगर में अवस्थापना निधि से प्रस्तावित विकास कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन।

उन्नाव शहर के विकास कार्यो की आवश्यकता के दृष्टिगत जनहित में प्रस्तावनुसार अवस्थापना निधि से कुल धनराशि **₹ 43.03 लाख** के कार्य कराये जाने का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि उक्त कार्यो का अनुमोदन अवस्थापना समिति से परिचालन के माध्यम से करा लिया जाये।

अन्त में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(एस0 के0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0)/सचिव
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव

(सौम्या अग्रवाल)
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव

अनुमोदित।

(कुमार कमलेश)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव